नम्बर व तारीख अ
जो इस हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **अशोक असीजा** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 05/2018

अनवानः–

1दलीप पुत्र नानक राम 2 महावीर पुत्र रामप्रताप 3 निमादेवी पत्नी श्योलाल
4 धर्मपाल पुत्र हेतराम अकवाम कुम्हार सा. रामपुरा उर्फ रामसरा तह0 टिब्बी।

प्रार्थीगण

बनाम

1 ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा जरिये सरपंच।
2 निधान सिंहा पुत्र बगू सिंह जाति कुम्हार सा. रामपुरा उर्फ रामसरा।
3 रूघवीर पुत्र नत्थूराम जाति जाट सा. रामपुरा उर्फ रामसरा।

अप्रार्थीगण।

निगरानी विरूद्ध पटटा दिनांक 26.09.96

उपस्थितः–
1 श्री विनोद पारीक अभिभाषक प्रार्थीगण।
2 श्री प्रदीप मोहन भाटी अभिभाषक अप्रार्थीसं. 2
3 श्री अनिल शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 23.9.18

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं निगरानीकर्ता गांव रामपुरा उर्फ रामसरा के निवासी हैं जो जन्म से ही गांव में निवास कर रहे हैं। प्रार्थीगण के घरों के आगे 17 फीट की गली जो गांव के गुवाड़ से होकर प्रार्थीगण के घरों तक जाती है जिस पर प्रार्थीगण हमेशा से आवागमन कर रहे हैं। अप्रार्थी सं. 2 जो गांव का पुराना निवासी है तथा उसके कब्जाशुद्धा भूखड प्रार्थीगण के घर की 17 फीट गली के दक्षिणी तरफ था। उक्त भूखण्ड का पटटा दिनांक 26.9.96 को तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से भूखण्ड से अधिक स्थान का गली आम की भूमि को भूखण्ड में सम्मिलित करते हुए छिपे तौर पर अप्रार्थी 2 के पक्ष में फर्जी एवं कूटरचित रिकार्ड तैयार कर पटटा जारी किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त पटटा का कभी कोई ज्ञान नहीं होने दिया। अप्रार्थी स0 2 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा को निम्नलिखित आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य हैः–

क– कि गली आम की भूमि ग्राम के सभी व्यक्तियों की संयुक्त होती है एवं ग्राम के सभी नागरिकों को गली आम की भूमि का किसी भी व्यक्ति के पक्षमें पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन तत्कालीन सरपंच ने जानबूझकर गली आम की भूमि का पटटा जारी किया है तो कतई गलत व विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है।

ख– कि पंचायत अधिनियम के मुताबिक सरपंच किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा गली का पट्टा जारी नहीं कर सकता । लेकिन तत्कालीन सरपंच ने नियमों को ताक पर रखते हुए अप्रार्थी सं. 2 से मिलीभगत व दूरभि संधी कर उसको नाजायज लाभ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

देने के उद्देश्य से अप्रार्थी सं. 2 के कब्जा शुद्धा भूखण्ड की पैमाईश करवाए बिना तथा गली आम 17 फुट को सम्मिलत करते हुए पटटा जारी किया गया है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है।

ग–कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं है।पंचायत अधिनियम के मुताबिक यदि किसी भूखण्ड पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तथा उसकी निलामी में कम कीमत प्राप्त होने की उम्मीद हो तो ग्राम पंचायत उप रजिस्ट्रार कार्यालय से कीमत मालूम कर प्राईवेट बातचीत के जरिये कम से कम उस कीमत पर भूखण्ड देगा लेकिन हस्तगत प्रकरण में इस संबंध में कोई पालना नहीं की गयी है। ग्राम रामपुरा उर्फ रामसरा के एक भूख्ण्ड की कीमत का बाजार मूल्य कम से कम 200000/– रूपये था।

घ– कि ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थीसं. 2 को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गली आम की भमि में प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा विधि विरूद्ध व फर्जी कार्यवाही कर बिना किसी पैमाईश अथवा जांच किये बिना जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने पट्टा से संबंधित पत्रावली में उक्त भूखण्ड के उत्तरी ओर गली आम दिखाई हुई है। मौका पर गली होने के बावजूद भी तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से गली आम की 17 फीट भूमि को जोड़ते हुए जारी किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

ड–कि अभिकथित पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपति नोटिस जारी नहीं किये गये व ना ही आपतियां आमंत्रित की गयी व ना ही सार्वजनिक नोटिस जारही किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत आपतियां सूचना पत्र मात्र पत्रावली में फर्जी कार्यवाही को पूर्ण करने के आश्य से सलंग्न की गयी है। इस अभिकथित आपति सूचना पत्र में कोई दिनांक नहीं की गयी है। उक्त पत्रावली एक ही दिन में एक ही समय तैयार की गयी है।

च–कि प्रार्थी के भूखण्ड के उत्तर दिशा में स्थित है व उत्तर दिशा की ओर गली आम स्थित है। इस गली आम में प्रार्थीगण अपने घरों में आते जाते हैं। प्रार्थीगण के अपने भूखण्डों का मुख्य द्वारा भी इस गली आम पर खुलता है लेकिन उक्त गली आम की भूमि में पट्टा जारी कर देने से व उक्त भूमि पर भविष्य में निर्माण कर देने से प्रार्थीगण अपने अपने घरों में आ जा नहीं सकेंगे तथा प्रार्थीगण के अपने आवासीय भूखण्डों के द्वार बन्द हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में जारी कथित पटटा दिनांक 26.9.96 निरस्त करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी सं0 3 का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने बाबत स्वीकार प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं.0 1 व 2 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। किसी प्रा0पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सार्वजनिक गली की भूमि को शामिल करते हुए जारी किया गया है जो विधि अनुसार नहीं है। मुख्य विवाद आम गली का है जिससे आम जनता आवागमन करती है जिस पर पट्टा पंचायत अधिनियम के तहत जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं है।अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 1999 रा0 पेज 672, डीएनजे 2011 राज पेज 977 प्रस्तुत किये गये।

अप्रार्थी सं0 3 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थी द्वारा जरिये इकरारनामा बेचान मलबा प्लाट खरीद किया गया है। प्रश्नगत पटटा जो निधानसिंह के नाम से जारी वह विधिवत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है । विधिवत जारी पट्टा को जारी नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीयान का निगरानी प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया । पट्टा

बुक के अवलोकन से प्रश्नगत पटटा निधानसिह के नाम जारी होना पाया जाता है। वर्तमान में इस पटटा भूमि पर कब्जा अप्रार्थी सं. 3 का है। इस प्रकरण में मुख्य रूप से विवाद यह है कि निधान सिंह को जो पटटा जारी किया गया है वह आम गली की जगह को सम्मिलत करते हुए जारी किया गया है। जिसके कारण आम गली में ग्रामवासियों का आवागमन वाधित होता है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रकरण मुख्य रूप पैमाईश से संबंधित है। पूर्ण पैमाईश होने के बाद ही यह ज्ञात हो सकता है कि प्रश्नगत पटटा आम गली की जगह को सम्मिलित करते हुए जारी किया गया या नहीं । ऐसी स्थिति में प्रकरण को पंचायत समिति टिब्बी को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना उचित है।

अतः प्रकरण पंचायत समिति टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टा की जगह का भौतिक निरीक्षण उभय पक्षों की उपस्थिति में किया जावे व उभय पक्षों का पक्ष सुनकर व लिखित साक्ष्य लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। निर्णय की एक प्रति पंचायत समिति टिब्बी को जरिये पत्र प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official